

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

Uttarakhand के देखिए)
No. 4/29/11/2 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से शिवपुरी (सदन
का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला AA 825177
शपथपत्र।


मैं, सुकेश चतुर्वेदी पुत्र / पुत्री, पत्नी श्री. राजकुमार
आयु 36 वर्ष, जो शिवपुरी का / की
निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1. कि मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध
(अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभियुक्तों को ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं 1/2/11
- (ii) पुलिस थाना (थाने) शिवपुरी जिला(जिले) शिवपुरी
राज्य उत्तरांचल
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का
संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 1/2/11
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई 1/2/11
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे 1/2/11
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है
/ हैं 1/2/11

Notary
Sh. 12/1/12



Signature

1/2/11

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उप धारा (1)या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

स्थान : 12/1/2012, नई दिल्ली
तारीख : 12/1/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है ।
..... नई दिल्ली स्थान पर आज तारीख 12/1/12 को सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



टिप्पणी:- इस प्रमाण के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाय ।

Solemnly affirmed by
S/o Shri. Kajun
Rohit
Notary
Date: 12/1/12
10.30 AM